

३

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, न्यायिक

समक्ष: एम०के० सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निग० 1092-एक/15 विरुद्ध आदेश दिनांक 18-2-15 पारित द्वारा
अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर प्रकरण क्रमांक 148/अ-६/2013-14.

1. डॉ० प्रणांत मिश्रा पिता डॉ. पी.एल. मिश्रा
निवासी जी.एफ. १ "आदि इन्वलेव"
राईट टाउन, जबलपुर
2. अब्दुल रज्जाक खान पिता अब्दुल खान
निवासी कटंगी तहसील पाठन
जिला जबलपुर
3. दिनेश कुमार जैन पिता सुरेश जैन
साकिन ब्रेन रोड, कटंगी तहसील पाठन,
जिला जबलपुर

----- आवेदकण्ण

विरुद्ध

1. शिवशंकर समिति मंदिर वाडा कटंगी
द्वारा - अध्यक्ष आनंद कुमार साहू एवं अन्य
2. देव कुमार गुप्ता पिता स्व. लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता
द्वारा मुख्यार आम रवि गुप्ता
पिता श्री द्याजाराम गुप्ता
निवासी 120, लाईगंज, तह. व जिला जबलपुर
3. श्रीमती किरण गुप्ता पत्नि स्व. अजय गुप्ता
द्वारा मुख्यार आम रमेश कुमार दुबे
पिता स्व. प्रेमलाल दुबे,
निवासी 27 राईट टाउन जबलपुर

५

4. म0 प्र0 द्वासन
द्वासा तहसीलदार पाटन

— अनावेदकगण —

श्री एम0 एम0 मुद्रगल, अधिवक्ता, आवेदकगण.

श्री आबंद साहू, अनावेदक क्रमांक -1 स्वय.
अनावेदक क्रमांक 2 एवं 3 एकपक्षीय.

:: आदेश ::

(आज दिनांक 6-4-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 148/अ-6/13-14 में पारित आदेश दिनांक 18-2-2015 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की घारा 50 के तहत पेश की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक क्रमांक 1 ने कलेक्टर, जबलपुर को दिनांक 15-6-10 को हस आशय की शिकायत पेश की गई कि ग्राम कटंगी प.ह.नं. 1 की भूमि खसरा नं. 159/1, 161/1, 160, 319 एवं 377 रकबा क्रमाः 0.543/1.62, 0.491/1.34, 0.202/0.50, 1.628/4.39 एवं 0.270/0.67 हैक्टर भूमि श्री शंकर जी मंदिर, कटंगी सरवराहकार किलण गुप्ता बेवा अजय कुमार, देव कुमार आ. लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता साकिन जबलपुर प्रबंधक कलेक्टर के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि को सरवराहकार द्वासा बिना परमीश्वान के क्या-विक्रय किया गया है वर्तमान में श्री अनीस चौरसिया द्वासा नियमों को ताक में रखकर निर्माण कार्य किया जा रहा है अतः उचित कार्यवाही की जाये। इस शिकायती आवेदन को कलेक्टर द्वासा अनुविभागीय अधिकारी, पाटन को निराकरण हेतु प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त शिकायती आवेदन को अपील के रूप में ग्रहण कर कार्यवाही की तथा आदेश दिनांक 11-8-2010 से उक्त भूमि के सभी क्या-विक्रय एवं नामांतरण निरस्त कर दिये तथा आदेश पारित करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश पारित किया।

अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विलङ्घ आवेदकगण ने माननीय उच्च न्यायालय में डब्लू. पी. क्रमांक 11837/10 प्रस्तुत की इस याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-9-2010 द्वारा कलेकटर, जबलपुर को प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश दिए गये। कलेकटर, जबलपुर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, पाटन का आदेश दिनांक 11-8-2010 निरस्त कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, पाटन की ओर पुनः पक्षकारों को सुनवाई उपरांत निराकरण हेतु भेजा।

प्रकरण वापिस ग्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी, ने आदेश दिनांक 21-9-2011 द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 11-8-10 की पुष्टि की। इस आदेश को आवेदकों द्वारा अपर कलेकटर के समक्ष चुनौती दी गई। अपर कलेकटर ने उक्त अपील में दिनांक 31-12-12 को आदेश पारित करते हुए कतिपय बिंदु निर्धारित कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, पाटन को प्रत्यावर्त्तित कर दिया। अनुविभागीय अधिकारी, पाटन ने पुनः दिनांक 16-8-13 को आदेश पारित करते हुए पूर्व का आदेश दिनांक 11-8-2010 स्थिर रखा गया, इस आदेश के विलङ्घ आवेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश की जिसे अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश दिनांक 18-2-15 द्वारा तृतीय अपील मानकर खारिज किया गया है। अपर आयुक्त के इस आदेश से व्यक्ति होकर यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

- 3/ आवेदकगण की ओर से लिखित बहस पेश की गई है।
- 4/ अनावेदक क्रमांक को प्रकरण में सुनवाई दिनांक 25-2-16 को 15 दिवस का समय लिखित बहस पेश करने के लिए दिया गया था किंतु उनकी ओर से आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है।
- 5/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। यह प्रकरण में निर्धारण हेतु प्रमुख बिंदु यह है कि प्रष्टनाधीन भूमि का स्वामित्व किसके पास था। अधीनस्थ विचारण न्यायालय में प्रष्टनाधीन भूमि का स्वामित्व मंदिर श्री कटंगी के स्वामित्व को मानकर कार्यवाही की गई है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज खसरा नं. 1909/10 का अवलोकन करने पर प्रष्टनाधीन भूमि खसरा नं. 159 एकड़ 1.62 एकड़, 160 एकड़ 0.50 एकड़ एवं 161 एकड़ 1.34 एकड़ पञ्जालाल धूमन वल्द कसीदाम बानिया के नाम मालिक मकबूजा स्वत्व पर दर्ज है।

खसरा नं. 160 में मंदिर एवं 2 मकान बने होने की प्रविष्टि है। इसका तात्पर्य है कि खसरा नं. 160 एकबा 0.50 एकड़ ही मंदिर की संपत्ति है। खसरा नं. 159 एकबा 1.62 एकड़ एवं 161 एकबा 1.34 एकड़ पञ्जालाल धूमन वल्द कसीयाम बानियां के स्वामित्व की भूमि थी जो अनावेदक क्रमांक 2 एवं 3 के पूर्वज रहे हैं। आवेदकगण ने लोक सूचना अधिनियम के अंतर्गत एवं मुख्य प्रतिलिपिकार को आवेदन पेश कर यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है कि खसरा नं. 159 एवं 161 पर शंकर जी मंदिर का नाम कैसे व क्षेत्र दर्ज हो गया इस हेतु उन्होंने आवेदन पेश कर वर्ष 1908-09 से 1954-55 एवं 1955-56 के राजस्व अभिलेख की प्रति मांगी परंतु अभिलेख उपलब्ध न होने संबंधी जानकारी उन्हें प्रदान नहीं की गई, इसका तात्पर्य यह है कि खसरा नं. 159 एवं 161 पर शंकर जी मंदिर के स्वामित्व की प्रविष्टि शुटिपूर्ण है। प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अनावेदक क्रमांक 2 एवं 3 के पूर्वजों द्वारा एवं अनावेदक क्रमांक 2 व 3 द्वारा स्वयं भी उक्त प्रश्नाधीन भूमि विक्रय की जाती रही है, यह तथ्य भी इस बात की पुष्टि करता है कि प्रश्नाधीन भूमि श्री शंकर जी मंदिर की न होकर व्यक्तिगत स्वामित्व की रही है। अतः उसके विक्रय के संबंध में की गई कार्यवाही, नामांतरण एवं तबादला नामा किसी प्रकार विधि विपरीत नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त तथ्यों को पूर्णतया अनदेखा किया गया है। प्रकरण के तथ्यों के आधार पर मंदिर व्यक्तिगत मंदिर है और व्यक्तिगत मंदिर पर प्रबंधक कलेक्टर नहीं हो सकते हैं इस आशय का सिद्धांत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 1985 आर0एन0 317 एवं 1995 आर0एन0 387 में प्रतिपादित किया गया है। अतः उक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में उक्त मंदिर एवं उससे लगी प्रश्नाधीन भूमि पर कलेक्टर की प्रबंधक के रूप में दर्ज प्रविष्टि विधिसम्मत न होने से विलुप्त की जाती है।

6/ अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अपर कलेक्टर, जबलपुर ने अपने प्रकरण क्रमांक 13/अ-6/अपील/11-12 में पारित आदेश दिनांक 31-12-12 से कतिपय बिंदु निर्धारित कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, पाठन को प्रत्यावर्तित किया है। प्रकरण को प्रत्यावर्तित करने के अधिकार, संहिता में किए गए संशोधन से दिनांक 01-01-2012 से समाप्त हो गये हैं। अतः अपर कलेक्टर, जबलपुर का आदेश

विधि विपरीत होने से शून्य प्रभावी है। जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है उनके समक्ष अनुविभागीय अधिकारी, पाठन के प्रकरण क्रमांक 80/अ-6/09-10 में पारित आदेश दिनांक 16-8-2013 के विलम्ब अपील पेट्रा हुई है जिसे उन्होंने तृतीय अपील मानकर खारिज किया है, जो विधि सम्मत नहीं है क्योंकि उक्त अपील तृतीय अपील नहीं है। अतः उनका आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-2-15 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-8-10 एवं 16-8-13 विविसम्मत न होने से निरस्त किए जाते हैं। तहसीलदार, कठंगी को निर्देश दिए जाते हैं कि राजस्व अभिलेख अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 11-8-10 के पूर्व की स्थिति में लाए जाकर दुरस्त किये जायें।



(एमो के० सिंह)
सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
छालियर